

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

पेट्रोल पम्प हेतु प्रस्तावित स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन से प्रभावित 0.075413 हे० भूमि के बदले 100 पौधों का रोपण (08 से 12 फुट पौध) एवं 10 वर्षों तक रख रखाव पर व्यय होने वाली आगणित धनराशि व क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य का प्राक्कलन:-

1	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु पौधों की संख्या -	100 पौध
2	रोपित किये जाने वाले पौध हेतु भूमि का क्षेत्रफल-	0.150 हे०

वन प्रभाग का नाम-

रेंज का नाम-

स्थल का नाम

भूमि का प्रकार -

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई।

हरदोई

सौतेरा वन ब्लॉक में उपलब्ध रिक्त भूमि पर।

ऊसर भूमि

3 वन खण्ड रोपण हेतु व्यय का अनुमान:- (625 पौध प्रति हे०)।

क्रम सं०	वर्ष	कार्य का विवरण	पौधों की संख्या	दर प्रति पौध (रु० में)	धनराशि (रु० में)
1	2	3	4	5	6
1	प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदाकार्य,	100	89.28	8928.00
2	द्वितीय वर्ष	वृक्षारोपण।	100	176.64	17664.00
3	तृतीय वर्ष	प्रथम अनुरक्षण।	100	68.00	6800.00
4	चतुर्थ वर्ष	द्वितीय अनुरक्षण।	100	62.00	6200.00
5	पंचम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	45.84	4584.00
6	षष्ठम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	15.21	1521.00
7	सप्तम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	16.30	1630.00
8	अष्टम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.17	1317.00
9	नवम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.17	1317.00
10	दशम वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.17	1317.00
11	एकादश वर्ष	रोपित पौधों के रखखाव पर।	100	13.17	1317.00
			100	13.17	1317.00
		कुल योग-			53912.00 अथवा 53900.00

नोट-उपरोक्त दरें मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक-526/11-सी- क्षतिपूरक वनीकरण दिनांक-09-09-2016 द्वारा निर्धारित अनुसूचित दर वर्ष 2016-17 के अनुसार है।

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई।

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग

हरदोई